Rajasthan State Mines & Minerals Limited
(A Government of Rajasthan Enterprise)
Corporate Office : 4, Meera Marg, Udaipur - 313 001
Registered Office : C-89-90, Lal Kothi Scheme, Jaipur, CIN-U14109RJ1949SGC000505
Phone : 0294-2428763/64/65/66/67, Fax : 0294-2428770/2428739
e-mail : info.rsmml@rajasthan.gov.in, Website: www.rsmm.com

क्रमांकः– आरएसएमएमएल/सीओ/पर्स/6(15)/2015– 239
दिनांकः– 01.08.2023

परिपत्र

विषयः– आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना अचल सम्पति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर ERP सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन स्वयं द्वारा भरने के संबंध में।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.13(76)कार्मिक/क–1/गो.प्र./2011, जयपुर दिनांक 31.12.2022 के अनुसार आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भी प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पति विवरण दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक भरे जाने के संबंध में कार्यालय द्वारा परिपत्र कमांक आरएसएमएम/सीओ/ पर्स/ 6(15)/2015/625 दिनांक 04.01.2023 का जारी कर अपना अचल सम्पति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉगइन कर ERP सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन स्वयं द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक भरने के संबंध में निर्देशित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प.13(76)कार्मिक/क–1/गो.प्र./2021–02463 जयपुर दिनांक 28.06.2023 जारी कर उक्त अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु समयावधि अंतिम बार दिनांक 15 जुलाई, 2023 बढ़ाई गई थी। इसी के क्रम में राज्य सरकार द्वारा उक्त परिपत्र के तहत अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु इस संस्थान द्वारा परिपत्र क्रमांक 182 दिनांक 13.07.2023 का जारी कर अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु समयावधि दिनांक 15.07.2023 तक इस संस्थान में बढाया गया था।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र परिपत्र कमांक प.13(76)कार्मिक/क–1/गो.प्र./2021–02463 जयपुर दिनांक 31.07.2023 जारी कर उक्त अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु समयावधि 15 अगस्त, 2023 तक बढ़ाई गई है।

अतः आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 31.07.2023 के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपना अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरा है, वे अपनी अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से ERP सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन स्वयं समय सीमा में पूर्ति करें।

इसके पश्चात भी यदि आरएसएमएमएल का कोई कर्मचारी/अधिकारी अचल सम्पत्ति विवरण नही भरता है जिससे पदोन्नति/वेतन वृद्धि एवं अन्य किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(डॉ. तरु सुराणा)आर.ए.एस.
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपिः–

1. निजी सहायक, श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
2. वित्तीय सलाहकार, आरएसमएमएल, सीओ, उदयपुर।
3. समस्त समूह महाप्रबन्धक/प्रमुख एवं प्रभारी, एसबीयू–पीसी रॉक फॉस्फेट/लाईमस्टोन/लिग्नाईट/जिप्सम एवं समस्त विभागाध्यक्ष, कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर/दिल्ली/कोलकता कार्यालय को निर्देशानुसार भेजकर लेख है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करते हुये इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
4. श्री नीरज श्रीमाली, उप महाप्रबन्धक (आई.टी.), नोटिस बोर्ड।
5. संबंधित पत्रावली/गार्ड पत्रावली/संबंधित

Signature valid
Digitally signed by Taru Surana
Designation : Executive Director
Date: 2023.07.31 22:18:41 IST
Reason: Approved

(काएवंप्र)

RajKaj Ref No. : 4416912